**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**लोक सभा**

**27.11.2019 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1551 का उत्तर**

**स्टेशनों पर सुविधाएं**

**1551. श्री राजेन्द्र धेड्या गावितः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अधिकतर रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनियां गंभीर चिंता का विषय है और यात्री सुविधाओं और रेलवे कर्मचारियों की संख्या के अनुसार इनका उन्नयन किए जाने की आवश्यकता है;**

**(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार उक्त स्टेशनों और रेलवे कॉलोनियों का पुनरुद्धार करने का है;**

**(ग) रेलवे स्टेशनों पर गरीब श्रमिकों, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से सरकार द्वारा किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं;**

**(घ) क्या सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि ये सभी सुविधाएं समुचित तरीके से सही लोगों तक पहुंचे; और**

**(ङ) यदि हां, तो दिल्ली सहित सभी भीड़-भाड़ वाले मुख्य स्टेशनों पर अब तक उपलब्ध ऐसे आकड़ों का ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)**

**(क) से (ड.) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।**

*********

**स्टेशनों पर सुविधाओं के संबंध में दिनांक 27.11.2019 को लोक सभा में श्री राजेन्द्र धेड्या गावित के अतारांकित प्रश्न सं. 1551 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर से संबंधित विवरण।**

**(क) से (च): रेलवे स्टेशनों का उन्नयन/आधुनिकीकरण एक सतत और चालू प्रक्रिया है जिसे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समय-समय पर किया जाता है। इस समय, आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए 1253 स्टेशनों की पहचान की गई है जिनमें से अब तक 1149 स्टेशनों को विकसित किया गया है और शेष स्टेशनों को 2019-20 तक विकसित किया जाना है। विभिन्न यात्री सुविधाएं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, स्टेशन भवन के अग्रभाग में सुधार, विश्रामालय, प्रतीक्षालय (स्नान की सुविधाओं के साथ), महिलाओं के लिए अलग प्रतीक्षालय, परिचलन क्षेत्र का भूनिर्माण, निर्धारित पार्किंग, संकेतक, पैदल पार पुल, स्टेशन के प्रवेश द्वार पर रैंप आदि शामिल हैं, को स्टेशन की संबंधित कोटि के अनुसार इस योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर मुहैया कराई जाती हैं। इसके अलावा, परस्पर प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अध्ययधीन आवश्यकता के अनुसार रेलवे स्टेशनों पर उन्नय कार्य किए जाते हैं।**

**रेलवे अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नियमित आधार पर निर्मित रेलवे कॉलोनियों में पुराने और जीर्ण-शीर्ण मकानों का बदलाव करती है जो मकान की आयु और स्थिति तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसके अलावा, भारतीय रेलवे ने कॉलोनी पुनर्विकास कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें रेलवे को बिना लागत पर पुरानी कॉलोनियों के पुनर्विकास के लिए इस्तेमाल किया जाने हेतु उपयोग किए गए फर्श क्षेत्र अनुपात (एफएआर) के व्यावसायिक दोहन से धन सृजित किया जाता है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को विकास के लिए 84 रेलवे कॉलोनियां सौंपी गई हैं।**

**रेलवे दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, महिला एवं बच्चों को सम्हालने के लिए रेलवे स्टेशन कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए विशेष सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी मुहैया कराई जा रही है।**

**रेलों पर पुलिस की व्यवस्था करना राज्य सरकार का विषय है और इसलिए रेल परिसरों और चलती गाड़ी में अपराधों की रोकथाम करना, मामलों को दर्ज करना**

राज्य सरकारों की सांविधिक जिम्मेमदारी है, जिसका निर्वहन वे संबंधित राज्य की राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी)/ जिला पुलिस के माध्यम से करती हैं। रेलवे में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के मामले संबंधित राजकीय रेल पुलिस द्वारा पंजीकृत किए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा इनकी जांच की जाती है।

बहरहाल, गाड़ियों में और स्टेशनों पर अपने सभी यात्रियों, जिसमें गरीब श्रमिक, महिलाएं, बच्चे और वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं, की संरक्षा और सुरक्षा के लिए रेलवे द्वारा राजकीय रेलवे पुलिस के सहयोग से निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

1. भेद्य और चिह्नित मार्गों/खंडों पर, विभिन्न राज्यों की राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा प्रति दिन 2200 गाड़ियों के मार्गरक्षण के अलावा, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा प्रतिदिन 2200 गाड़ियों (औसतन) का मार्गरक्षण किया जा रहा है।

2. यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रेल के लगभग 501 स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों द्वारा निगरानी रखी जाती है।

3. संकटग्रस्त यात्रियों को सुरक्षा संबंधी सहायता के लिए भारतीय रेल पर सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर '182' कार्य कर रहा है।

4. 202 रेलवे स्टेशनों पर निगरानी तंत्र में सुधार करने के लिए क्लोज़ सर्किट टेलीविज़न (सीसीटीवी) कैमरा नेटवर्क, एक्सेस कंट्रोल, व्यैक्तिक और उनके सामानों की जांच, आदि के जरिए भेद्य स्टेशनों पर निगरानी के लिए एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली (आईएसएस) स्वीकृत की गई है।

5. गाड़ियों और रेल परिसरों में अप्राधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले यात्रियों के विरुद्ध समय-समय पर अभियान चलाए जातें हैं।

6. रेल मंत्रालय ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सहयोग से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया है जिसमें रेलवे स्टेशनों पर लावारिस पाए गए बच्चों अथवा गाड़ियों में बाल तस्करों से बचाव का प्रोटोकोल शामिल है।

**7. महानगरों में चलने वाली सभी महिला स्पेशल गाड़ियों का महिला आरपीएफ कांस्टेबलों द्वारा मार्गरक्षण किया जा रहा है। अन्य गाड़ियों, जिनमें एस्कॉर्ट मुहैया कराए गए हैं, में मार्गवर्ती और हॉल्ट स्टेशनों पर गाड़ी मार्गरक्षण पार्टियों को अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों, महिला सवारीडिब्बों पर अतिरिक्त निगरानी रखने के लिए ब्रीफ किया जाता है।**

**8. रेलवे की नियमित निगरानी और सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करने हेतु सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उनके महानिदेशक पुलिस/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आयुक्त की अध्यक्षता के अंतर्गत रेलवे की राज्य स्तर की सुरक्षा समितियां गठित की गई हैं।**

*****